

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0-97/13579- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा बिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए अनुसार गांव मंडावर, जिला गुड़गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मंडावर, जिला गुड़गांव के के आस पास के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र को सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी)- 526/94 दिनांक 19 जुलाई, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

**उत्तर:** बिन्दू 'क' से लेकर अर्थात गांव रोजका गुज्जर की खसरा संख्या 122 के उत्तर पश्चिमी कोने, उसके बाद खसरा संख्या 122 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर इसके उत्तरी-पूर्वी कोने तक, उसके बाद गांव मंडावर की उत्तर-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर आयत संख्या 15 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक, उसके बाद मंडावर के आयत संख्या 15 तथा 14 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'ख' तक अर्थात आयत संख्या 14 के उत्तर-पूर्वी कोने तक।

**पूर्व:** उसके बाद गांव मंडावर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दू 'ग' तक, जहां पर गांव मंडावर, गांव खेडली लाला और गांव सतलाका की सीमाएं परस्पर मिलती है।

**दक्षिण और पश्चिम:** उसके बाद गांव मंडावर की दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर की ओर बिन्दु 'घ' तक, अर्थात गांव अभेपुर के आयत संख्या 96 के उत्तर-पूर्वी कोने तक, उसके बाद आयत संख्या 65 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर आयत संख्या 65 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, उसके बाद आयत संख्या 65 और 62 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर गांव अभेपुर की आयत संख्या 62 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक, उसके बाद आयत संख्या 62 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर इसके उत्तर-पूर्वी कोने तक, के गांव अभेपुर खसरा संख्या 28 और गांव रोजका गुज्जर की खसरा संख्या 123, 122 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ बिन्दु तक।

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 28<sup>th</sup> August, 1997

No. JD-97/13579- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declares the area around Govt. Primary School at village-Mandawar, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundaries for controlled area around Govt. Primary School of village-Mandawar, Distt. Gurgaon to be read with drawing No. DTP(G) 526/94 dated 19<sup>st</sup> July, 1994.

**North:** Starting from point 'A' i.e. north western corner of Khasra No. 122 of Village Rojka Gujar, thence towards east along the northern boundary of the Kharsar No. 122 upto its north-eastern corner, thence towards north along the north-western revenue boundary of village Mandawar up to the north-western corner of Rect. No. 15, thence along the north-eastern corner of rect. No. 14.

**East:** Thence towards south along the eastern revenue boundary of village Mandawar upto point 'C' which is the trijunction of village mandawar, village Kherli Lal and village Satlaka.

**South & West:** Thence towards south-west, north-west and north along the southern and western revenue boundary of village Mandawar upto point 'D' i.e. the north-eastern corner of rect. No. 96 of village Abhepur, thence towards west along the southern boundary of Rect.No. 65 upto the south-western corner of ther rect. No. 65, thence towards north along the western boundary of rect. No. 65 and 62 upto the north-western corner of Rect. No. 62 of village Abyepur, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 62 upto its north-eastern corer, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 28 of village Abhepur, Khasra No. 123 and 122 of village Rojka gujjar upto point 'A' i.e. the point of start.

BHASKAR CHATTERJEE

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.